

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-उर्दू/2016/ दिनांक 30.09.2018 की अनुपालना में इस कार्यालय के पत्रांक - उनिशि/ मा/बीका/संस्था/सी.भ.-उर्दू 2016/2018-19/2006 दिनांक 30.09.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक उर्दू पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की गई थी । इन्हे आज दिनांक 01.10.2018 को परामर्श शिविर के बाद उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पद नियमानुसार देय नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षती पूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतनमान लेने का विकल्प दिये जाने पर ही विद्यमान वेतनमान नियत वेतन मानदेय के रूप में देय होगा ।

राज्य सरकार के पत्रांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानुसार इनकी नियुक्ति नवीन पेंशन अंशदायी योजनान्तर्गत होगी एवं नियमानुसार कटौती की जावेगी । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा तथा इन्हे वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कैलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा ।


संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे -

1. व.अ. पद हेतु इनकी पात्रता व इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, जाति, आयु एवं अन्य आरक्षण संबंधी दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर, उनकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे, यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कार्यग्रहण करवायेंगे ।
2. कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे । पूर्व से राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।
3. कार्यग्रहण से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद पैदा संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त करेंगे ।
4. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र पर 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त करेंगे ।

5

5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषण पत्र प्राप्त करेंगे ।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यताएं प्राप्त अभ्यर्थी से 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र इस आशय का प्राप्त करेंगे की यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा तथा ऐसी स्थिती में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन की नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए ।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें । अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र जो कि विवाह के बाद का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा ।

संलग्न सूची 01 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 06.10.18 रहेगी । चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगे ।




(महावीर सिंह पूनिया)

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर मण्डल, बीकानेर

क्रमांक – उनिशि/मा/बीका/संस्था/सी.भ –उर्दू– 2016/2018–19/2074 दिनांक –01.10.2018

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. शासन उपसचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिका, बीकानेर ।
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
9. रक्षित पत्रावली ।





उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर मण्डल, बीकानेर

कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।

क्रमांक:-उनिशि/मा/बीका/संस्था-I/आरपीएससी 2016/व.अ./उर्दू/2018/2074

दिनांक -01.10.18

क्र०स०	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी का फोटो
1	50	ST,EX, SP	RAJESH KUMAR	BHAGWAN RAM	16/06/1987	BAJIDSAR JHUNJHUNU	STM	G.SR.SEC.S CHOO (GIRLS), TELIWARA (0803012810 9)	


(महावीर सिंह पूनिया) 14078
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर मण्डल, बीकानेर